राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1( )विद्या सम्बल/ आकाशि /गे.फै./दिशा निर्देश /21 दिनांकः

प्राचार्य
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय (कृषि एवं विधि सहित)/
संबंधित नोडल महाविद्यालय

विषयः–विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक आमंत्रित करने हेतु।

संदर्भः–वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि **"विद्या संबल योजना"** अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किये जाने के संबंध में समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय के स्तर से ही की जानी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राजसेस अधीन संचालित महाविद्यालयों (कृषि एवं विधि महाविद्यालय सहित) में आवश्यकतानुसार **(पूर्व में पदस्थापित तथा कार्य व्यवस्थार्थ के तहत कार्यरत को छोडकर)** संबंधित विषय में गैस्ट फैकल्टी को लगाये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया जावें।

(डॉ. टी.सी. बैरवा)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Dr. Tara Chand Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.18 11:25:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4532926

प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी IT Cell कृपया अपलोड करें।

18.8.2023